

# Form No. III

App-Z  
crim-1

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

अंकित सी०॥

बनाम

गीता वर्मा

सं. मुकदमा

बाद

नं०

०३

सं. २०२१

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
०५/२५	<p>पत्रावली पेश हुई १२० साइट्स अपकार। पर होने से..... अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक ११/१२/२५ को पेश की जावे।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
११/०९/२०२५	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की प्रतिवादी सं. ०१ के नोटिस जैसेस प्रस्तुत करने के पूर्व में दिनांक २१.२.२०२५ से अब तक कुल ०५ अवसर दिये जाने के बावजूद भी वकील वादी नोटिस जैसेस प्रस्तुत करने में असफल रहे इससे पता चलता है कि वकील वादी वाद-पत्र की चलावा नहीं चाहता है। अतः वकीलवादी का वाद-पत्र इसी स्तर पर CPC के (०)७(R)S के अन्तर्गत वकील वादी द्वारा नये समन लाने में असफल रहने से खारिज किया जाता है। पत्रावली जैसेस श्रुमार ही दर्ज रजिस्ट्रर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	

उपखण्ड अधिकारी  
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)